रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10122020-223636
SG-DL-E-10122020-223636

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2020/अग्रहायण 18, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 219

No. 269] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942 [N. C. T. D. No. 219

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2020

सं.फा. 1/1116/2017/टीई/एडी/111 .—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना एस0ओ0 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा से प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों में पुस्तकालय परिचर के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुस्तकालय परिचर भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।

    (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **बचावः**– इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है
1.	2.	3.	4.	5.
पुस्तकालय परिचर	25* (2020) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	'ग' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा (अराजपत्रित), अलिपिकीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (19,900–63,200/–रुपये)	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
6.	7.	8.	9.	10.
27 वर्ष से अधिक नहीं **टीप–1** : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये चालीस वर्ष तक शिथिलनीय। **टीप–2**: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारो के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन , हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पागी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व	<u>अनिवार्य :</u> (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में तीन वर्षीय डिप्लोमा। या (i) 12वीं कक्षा/ सीनीयर सैकेंडरी (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के पुस्तकालय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से एक वर्ष का कार्यानुभव; या (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान/लाइब्रेरियनशिप में प्रमाण पत्र।	लागू नहीं	दो वर्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा टीपः– पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; तथा कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर

लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।				नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरी जा सकेंगी।

यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
11.	12.	13.
लागू नहीं	'ग' वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति 1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग– अध्यक्ष 2. कार्यालयाध्यक्ष (मुख्यालय), प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग– सदस्य 3. उप–निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी, स्था0–1, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग–सदस्य	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रजनीश सिंह, संयुक्त निदेशक (प्रशि. एवं तकनीकी शिक्षा)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 9th December, 2020

No.F.1/1116/2017/TE/AD/111.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home affairs notification Number S.O. 3532 dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Library Attendant in various Institutes of Technology under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement:- (i)** These rules may be called the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital territory of Delhi, Library Attendant Recruitment Rules, 2020.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix: -** The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. **Method of Recruitment, Age limit and other qualification: -** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**: No person,

   (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to any of the said posts:

   Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library Attendant.	25* (2020) * Subject to variation dependent on Work load.	General Central Service Group-'C' (Non-Gazetted), Non Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Not applicable.

Age limit for direct Recruits	Educational & other qualification required for direct recruitment	Whether age or Educational qualification prescribed for the direct recruits will apply for promotees	Period of probation	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and % of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 27 years. **Note-1**:Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government. **Note-2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands ofLakshadweep).	**Essential :** i) Matriculation or equivalent. ii) Three years' Diploma in Library Science from a recognized Institution. **OR** i)12th/Senior Secondary ii) One year working experience from Central or State Government Library or University or recognized research Institutes; **or** ii) Certificate in Library Science/ Librarianship from recognized Institution.	Not applicable.	Two years.	100% By Direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government/ State Government/ Union Territories holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department and possessing the educational and other qualification prescribed for direct recruit under column No. 7.

In the case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer are to be made	If DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group "C" Departmental Confirmation Committee**: 1. Director, Department of Training and Technical Education- - Chairman. 2. H.O.O. (HQ), DTTE - Member. 3. Dy. Director/A.O. E-I, DTTE - Member.	Not Applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
RAJANISH SINGH, Jt. Director (TTE)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.10 22:15:23 +05'30'